न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी-हरि सिंह मीना(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या-डिकी 360/2016
पंजीयन दिनांक 15.09.2016

पूरण प्रकाश पिता लक्ष्मीलाल गांधी जाति जैन निवासी धागड़मऊकलां तहसील रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।

-अपीलांट

बनाम

सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार रावतभाटा, तहसील रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।

-रेस्पोडेन्ट

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय एवं डिकी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा प्रकरण संख्या 113/2010 निर्णय एवं डिकी दिनांक 11.07.2016

उपस्थित वक्त बहस-(1).सावन श्रीमाली-अधिवक्ता अपीलांट
(2).पूरणमल स्वर्णकार-राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

निर्णय **दिनांक 14.07.2022**

प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि वादी अपीलांट ने एक वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 92-ए, 188 व राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत इस आशय का पेश किया कि वादी अपीलांट के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी मौजा धागड़मऊकलां तहसील रावतभाटा की आराजी संख्या 212/3 रकबा 1.08 हैक्टेयर स्थित है। उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात जो वादी अपीलांट

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

द्वारा कय की गई थी, जो नामान्तरण संख्या 544 दिनांक 20.06.2006 के द्वारा वादी अपीलांट की खातेदारी में दर्ज होकर आज तक वादी अपीलांट उक्त वर्णित कृषि आराजीयात पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। उक्त वर्णित कृषि आराजीयात का भू-प्रबन्ध के पश्चात नवीन खसरा संख्या 621 रकबा .21 हैक्टेयर मे परिवर्तित होकर राजस्व रकॉर्ड में दर्ज कर दिया , इस प्रकार भू-प्रबन्ध अधिकारीयों द्वारा वादी अपीलांट को बिना सूचना दिए अपीलांट वादी की खातेदारी की उक्त वर्णित कृषि आराजीयात का भू-प्रबन्ध के पश्चात रकबा .87 हैक्टेयर कम किया जाकर राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज कर दिया । अन्त में वादी अपीलांट के खातेदारी की उक्त वर्णित कृषि आराजीयात को नवीन भू-प्रबन्ध के अनुसार नवीन खसरा संख्या 621 में भू-प्रबन्ध से पूर्व रकबा 1.08 हैक्टेयर वादी अपीलांट की खातेदारी में राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज किया जाकर इन्द्राज दुरूस्ती किये जाने का निवेदन किया । साथ ही प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट को वादी अपीलांट के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की उक्त वर्णित कृषि आराजीयात में वादी अपीलांट के कब्जे काश्त में दखलंदाजी व हस्तक्षेप न तो स्वयं करे न अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से करावे , इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का निवेदन किया।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 11.07.2016 को पत्रावली लोक अदालत कैम्प मे नियत की जाकर वादग्रस्त आराजी का मिलान क्षेत्रफल से मेल नहीं होना बताकर एवं साक्ष्य वादी लम्बे समय तक प्रस्तुत नहीं किये जाने के आधार पर वादी अपीलांट का वादपत्र खारिज किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की गई।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11.07.2016 से असंतुष्ट होकर अपीलांट वादी ने यह अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। तामील की पालना मे रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय का अभिलेख

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलांट वादी ने अपील मेमो मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि उक्त वर्णित कृषि आराजीयात वादी अपीलांट ने जरिये विकय पत्र कय की जाकर नामान्तरण संख्या 544 दिनांक 20.06.2006 से अपीलांट वादी के नाम 1.08 हैक्टेयर रकबा खातेदारी मे दर्ज होना जमाबंदी मे अंकित है जिसके नवीन आराजी नम्बर 621 अंकित है, जिससे अपीलांट वादी का भू-प्रबन्ध के दरम्यान 1.08 के बजाय 0.21 हैक्टेयर रकबा दर्ज कर 0.87 हैक्टेयर रकबा कम दर्ज किया गया है, जिसको अपीलांट वादी दुरूस्त करवाने का अधिकारी होने से वादपत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त वादपत्र मे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने तहसीलदार रावतभाटा से मौका रिपोर्ट तलब की गई, जिस पर पटवारी हल्का , भू-अभिलेख निरीक्षक द्वारा दिनांक 13.01.2016 को मौका रिपोर्ट अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत की गई। जिसमे अंकित किया गया कि आराजी संख्या 621 रकबा 0.21 वादी अपीलांट के नाम खातेदारी मे दर्ज है, आराजी संख्या 605, 607 बिलानाम सरकार काबिल काश्त दर्ज रकॉर्ड है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलांट वादी का वादपत्र प्रमाणित नहीं होना व तकनीकी बिन्दु साक्ष्य नहीं करवाना व प्रकरण को लम्बा करने की चेष्टा होना मानते हुए वादपत्र को निरस्त किये जाने का आदेश पारित किया है जिसके विरूद्ध प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट ने जवाबदावा प्रस्तुत किया व तहसीलदार से मौका रिपोर्ट तलब की गई। काफी लम्बे समय से पत्रावली साक्ष्य मे विचाराधीन थी , फिर भी वादी की ओर से किसी प्रकार की कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई व राज्य सरकार के निर्देशानुसार पत्रावली लोक अदालत मे नियत की जाकर वादपत्र प्रमाणित होना नहीं मानते हुए अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने वादपत्र को निरस्त किये

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

जाने का निर्णय व आदेश पारित किया है जो न्यायोचित है। अपीलांट वादी की ओर से प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट वादी की खातेदारी मे 212/3 रकबा 1.08 हैक्टेयर भूमी दर्ज रेकॉर्ड रही , जिसका भू-प्रबन्ध के दरम्यान नवीन आराजी नम्बर 621 रकबा 0.21 हैक्टेयर रकबा कायम किया गया जिसको दुरूस्त कराने का वादपत्र अपीलांट वादी की ओर से अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया। उक्त वादपत्र में रेस्पोडेन्ट की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। सहमति का जवाबदावा होने से अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने बिना तनकीयात कायम किये उक्त पत्रावली साक्ष्य वादी मे नियत की गई व दिनांक 09.11.2011 को अपीलांट वादी की ओर से प्रार्थना पत्र बाबत मौका रिपोर्ट मंगवाये जाने हेतु प्रस्तुत किया, जिस पर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौका रिपोर्ट तलब की गई जो अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे दिनांक 16.02.2016 को प्राप्त हुई । तत्पश्चात उक्त पत्रावली साक्ष्य हेतु नियत की गई व पत्रावली मे अपीलांट वादी की ओर से गवाह के रूप मे शपथ पत्र प्रस्तुत है जिसमे रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी की जिरह होनी थी, कि पत्रावली दिनांक 11.07.2016 को लोक अदालत कैम्प मे नियत की जाकर अपीलांट वादी का वादपत्र बिना किसी आधार के निरस्त किया है, जिसके विरूद्ध अपीलांट वादी ने अपील प्रस्तुत की है । अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री 11.07.2016 विधि सम्मत नहीं होने से अपीलांट वादी की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

फलस्वरूप अपील अपीलांट वादी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा प्रकरण संख्या 113/2010 निर्णय व डिक्री दिनांक 11.07.2016 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

अपीलांट वादी की ओर से प्रस्तुत शपथ-पत्रों पर रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी को जिरह का अवसर प्रदान कर रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी यदि दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहे तो उसे अवसर प्रदान कर पत्रावली मे प्रस्तुत जवाबदावे , मौका रिपोर्ट व राजस्व रेकॉर्ड का परीक्षण कर अजसरे नवनिर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 14.07.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटायी जावे। उभयपक्षकारान अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे दिनांक 24.08.2022 को स्वयं उपस्थित रहे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

(हरिसिंह मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़(राज0)